

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 9599

सूरजपुर, दिनांक/ 16 / 12 /2022

प्रति,

निदेशक,

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सीपत रोड़ बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-

सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रभावित वनभूमि 515.581 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत् ।

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/MIN/149564/2021

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-151 दिनांक 12.12.2022

— 00 —

विषयांकित संदर्भित पत्र में आवेदक संस्थान प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिलासपुर द्वारा सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र कुदरगढ़ अंतर्गत भास्करपारा कोयला खनन परियोजना में संरक्षित वनभूमि 148.795 हे. तथा ग्राम राजस्व वनभूमि 366.786 हे. कुल वनभूमि रकबा 515.581 हे. वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षण में व्यपवर्तन प्रस्ताव में उल्लेखित कक्ष, आवेदित क्षेत्र के डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के के.एम.एल. फाईल में दर्शित कक्षों में मिलान न होकर त्रुटिपूर्ण है, लेख किया गया है।

भास्करपारा कोयला खनन परियोजना के व्यपवर्तित वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रभावित वनभूमि रकबा 515.581 हे. में से कक्ष क्रमांक पी 1618 रकबा 35.549 हे. उल्लेखित है, किन्तु गुगल मैप में परीक्षण करने पर आवेदित क्षेत्र एवं कक्ष क्रमांक पी 1618 की दूरी लगभग 1.000 कि.मी. दर्शित होना पाया गया है।

अतः प्रकरण में परिक्षेत्राधिकारी कुदरगढ़ से समन्वय स्थापित कर आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी 1618 में स्थित है या असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन) है? का स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर व्यपवर्तन प्रस्ताव 06 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तथा नारंगी वनक्षेत्र होने की स्थिति में कलेक्टर जिला सूरजपुर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- व्यपवर्तन प्रस्ताव 06 प्रतियों में।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर, वनमण्डल सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक/ 16 / 12 /2022

पृ. क्रमांक/मा.चि./ 9600

प्रतिलिपि:- 1. उपवनमण्डलाधिकारी ओडगी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. वनपरिक्षेत्राधिकारी कुदरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप आवेदक संस्थान से समन्वय स्थापित कर आवेदित क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 1618 में स्थित है या असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन) है? का स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर उपवनमण्डलाधिकारी ओडगी के माध्यम से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर, वनमण्डल सूरजपुर